**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 273**
**02.02.2026 को उत्तर के लिए**

**जनजातियों पर वन्यजीवों के आक्रमण**

**273. श्री ईश्वरस्वामी के. :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में अनाईमलाई वन क्षेत्र में स्थित नवमलाई बस्ती में वन्यजीवों की घुसपैठ की बढ़ती घटनाओं के बारे में पता है, जिससे जनजातीय निवासियों का जीवन संकट में पड़ रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर ऐसे संकट का सामना कर रहे वन में रहने वाले समुदायों की संरक्षा, आवास की सुरक्षा और अनिवार्य सेवाओं तक अभिगम सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्षों से प्रभावित जनजातीय समुदायों का पुनर्वास या पुनर्स्थापन करने के लिए, विशेषकर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में, कोई राष्ट्रीय स्तर की योजना या दिशानिर्देश बनाए हैं; और

(घ) किसी केंद्रीय या केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत वन्यजीवों के संकट से प्रभावित ऐसे जनजातीय समूहों के लिए सुरक्षित आवास और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु को दी गई वित्तीय या तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

**(क) से (घ):** मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम/निवारण के साथ साथ वन्यजीवों के प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की होती है। मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ही सबसे पहले कार्रवाई करते हैं। तमिलनाडु राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नवामलाई हेमलेट अन्नामलाई बाघ रिज़र्व के पोलाची प्रभाग की पोलाची रेंज के कोर ज़ोन में स्थित एक एन्क्लेव है। यहाँ मलासर जनजातीय समुदाय के 33 परिवार राजस्व पोरंबोके भूमि पर निवास करते हैं। यह क्षेत्र तीन ओर से आरक्षित वन से तथा एक ओर से अलीयार बाँध के जल से घिरा हुआ है। चूँकि यह राजस्व क्षेत्र कोर ज़ोन में स्थित है, इसलिए नवामलाई क्षेत्र से वर्ष भर नियमित रूप से वन्यजीवों का आवागमन होता रहता है, हालांकि नवामलाई बस्ती में मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि देखी नहीं गई है।

प्रभावित समुदायों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा बाघ रिज़र्व के कोर/क्रिटिकल बाघ पर्यावास से गाँवों का स्थानांतरण वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V(5) के अनुसार स्वैच्छिक प्रक्रिया है। मंत्रालय देश में वन्यजीवों एवं उनके पर्यावास के प्रबंधन हेतु केंद्र प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' तथा 'बाघ और हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन योजनाओं के अंतर्गत समर्थित कार्यकलापों के पर्यावास प्रबंधन, पारि-विकास, स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास प्रारंभिक वन्यजीवों को फसली क्षेत्रों में प्रवेश से रोकने के लिए चेतावनी प्रणालियों की खरीद, कंटीले तार की बाड़, सौर ऊर्जा संचालित विद्युत बाड़, जैव-बाड़, सीमा दीवारों आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण एवं स्थापना वन्यजीवों द्वारा हुए नुकसान, जिसमें पशु उठाव, फसल के नुकसान, जनहानि एवं संपत्ति की हानि शामिल है, के लिए मुआवजा भी शामिल है।

*****